कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(दूरभाष/फैक्स सं०–05942&235452 e-mail:- cf_skumaon@rediffmail.com)

पत्रांकः– /12–1 दिनांकः नैनीतालः, 19 अप्रैल, 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **विकासखण्ड भीमताल की देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– प्रभागीय वनाधिकारी,नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक–4883/13-1 दिनांक 06-04-2022

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषगयगत प्रकरण के प्रस्तावों की 3 प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गई हैं। प्रस्तावों में जॉच उपरान्त आवश्यक प्रपत्रों में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तावों को मूल में भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्रांक–2108/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वे विषयगत प्रकरण के प्रस्तावों को इस कार्यालय से प्राप्त कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।

O.C

तीन प्रस्ताव प्राप्त किये

प्राप्त किया 3 प्रतियें

21-4-22

भाग–111

(विकासखण्ड भीमताल की देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के सम्बन्ध में

(प्रस्ताव संख्या -FP/UK/WATER/144750/2021)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1–क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।	नहीं प्रस्ताव के अनुरूप उक्त प्रस्तावित पेयजल योजना सिविल/निजी भूमि में 9290 मीटर तथा 0.60 मीटर चौड़ाई में तथा आरक्षित वन क्षेत्र में 5140 मीटर लम्बाई तथा 0.60 मीटर चौड़ाई एवं वन पंचायत में 95 मीटर लम्बाई तथा 0.60 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित हैं। उक्त योजना में बांज के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।अतः अलग से निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा 06–04–2022 को किये गये निरीक्षण से सहमति व्यक्त की जाती है।
2–क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।	हाँ सहमत
3–विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है कि याचक विभाग/प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उक्त के अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार की वृक्षों आदि को क्षति पहुंचायी जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वह स्वंय वहन करेगा। अतः स्वीकृति कर अग्रेत्तर प्रेषित।

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमॉऊ वृत्त उत्तराखण्ड नैनीताल।

दिनांक–
स्थान– नैनीताल